न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 00097/2020/223

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी स्व0 कूका (नाम तर्क)
2. रामेश्वर पुत्र स्व0 मदन पौत्र कूका,
3. श्रीमती कमला पत्नी स्व0 मदन पौत्री कूका,
4. पुखराज पुत्र स्व0 श्रवण पौत्र हीरा,
5. शंकर पुत्र स्व0 श्रवण पौत्र हीरा,
6. चम्पालाल पुत्र स्व0 श्रवण पौत्र हीरा,
7. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री हीरा,
   समस्त जाति धानका, निवासी संतोषी माता मंदिर के पास, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर दिनांक 6.2.2019 अंतर्गत वाद संख्या 01/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 8.

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.2.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि के चौसाला खसरा नंबर 364/2 जिसके वर्किंग खसरा नंबर 522 रकबा 5—19—00 बीघा किस्म बारानी—2 के हाल खसरा नंबर 151 रकबा 1.05 है0 में से 0.80 है0 किस्म बा—2 है। उपरोक्त भूमि जिसके एक भाग पर तीन पुख्ता पट्टी पोश कमरे, मय चबूतरा भी निर्मित है कि जिसमें से दो कमरे मे वादी शंकर निवास करता

आया है एवं कमरे में वादी पुखराज का पुत्र गोपाल निवास करता है तथा दो पुख्ता पट्टी पोश कमरे, लेट्रीन, बाथरूम व चबूतरी व पानी का टेंक बना है जिसमें वादी पुखराज निवास करता है । इस प्रकार वादग्रस्त भूमि जो कि वादीगण की बापोती पुश्तैनी कृषि भूमि है परन्तु वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में विश्राम स्थली प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज की गई है जबबकि राजस्व भू–अभिलेख रिकार्ड के अनुसार वादीगण की बापोती पुश्तैनी भूमि है जिसके वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद पेश किया गया है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.2.2019 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का वाद डिक्री कर वादीगण को ग्राम पुष्कर के चौसाला खसरा संख्या 364/2 की जिसके वर्किंग खसरा नंबर 522 रकबा 5–19–00 बीघा के हाल खसरा नंबर 151 रकबा 1.05 है0 में से 0.80 है0 का खातेदार घोषित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय मात्र कल्पना व अनुमानों के आधार पर किया है । पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे विवादित आराजी बापोती/पुश्तैनी प्रमाणित होती हो । वादीगण के पूर्वज पूर्व में विवादित आराजी के खातदेार रहे हो, यह सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जिसे वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं किया गया है । वादीगण ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनसे यही स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित भूमि सरकारी भूमि रही है जिस बाबत् राजस्व अभिलेख में वादीगण के पूर्वजों का नाम अंकित नहीं है । ऐसी स्थिति में पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील के आधार पर खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है । पत्रावली पर वादीगण द्वारा केवल मात्र खसरा गिरदावरियां प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । वादीगण ने जानबूझकर वादपत्र में मिथ्या कथन अंकित किये है व वास्तविक तथ्य छिपाये है । अधी0न्याया0 ने महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश नहीं होने पर भी राजस्व रिकार्ड के विपरीत तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि रही है जिसे नगर पालिका को हस्तातंरित किया गया है । मात्र उक्त हस्तातंरण आदेश को राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.1.2019 से निरस्त कर दिये जाने के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य नहीं था । इस प्रकरण में राज्य सरकार भी पक्षकार रही है। अधी0न्याया0 ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, खसरा गिरदावरी व परिवर्तनशील जो किसी भी आधार पर (जो खातेदारी अधिकारों के दस्तावेज नहीं है) श्रवण का नाम दर्ज होने के कथन किये है । कूका के वारिसान को भी वादी बनाया गया है, जिसके संबंध में भी वाद डिक्री किया गया है जबकि उनका कोई अधिकार वाद में साबित नहीं किया गया है । कूका के वारिसान को उक्त वाद की प्रस्तुति का कोई अधिकार नहीं था । इस तथ्य को अधी0न्याया0 ने नजरअदांज किया है । वादीगण ने अपना वैध कब्जा उक्त खसरा नंबर पर लगातार चला आ रहा हो यह तथ्य साक्ष्य साबित नहीं किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अवैध

कब्जे के आधार पर अतिक्रमी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को भी नजरअदांज किया कि दिनांक 4.5.2018 को वादी संख्या 1 की मृत्यु बाबत् प्रमाण पत्र पेश किया गया था, जिसके साथ किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख आदेशिका में नहीं किया गया है तथा न ही उक्त संबंध में कोई आदेश ही पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति वादी संख्या 1 के नाम के आगे बिना किसी आदेश के नाम तर्क अंकित किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । जबकि प्रस्तुत प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट है कि वादी संख्या 1 का निधन दिनांक 11.9.2017 को ही हो गया था, जिसके आधार पर मृतक के संबंध में कार्यवाही समयावधि में नहीं किये जाने से वादी का वाद अबेट हो जाता है । अधी0न्याया0 ने न्यायिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर शीघ्रता से निर्णय किया है जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर निर्णय करने में आमादा रहे है । इस कारण प्रतिवादी/अपीलांट अपनी साक्ष्य नहीं दे सका है । पत्रावली पर कोई बयान भी आदेशिका के अनुसार प्रति चाहने पर भी उपलब्ध नहीं कराई गई है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 के आधार पर तनकी संख्या 2 का निर्णय पारित किया गया है । तनकी संख्या 2 के संबंध में किसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से साक्ष्य व दस्तावेजों का विवेचन व निष्कर्ष नहीं दिया गया है । वाद कारण जो वादी ने दिनांक 14.9.2016 अंकित किया है वह गलत है, क्योंकि स्वंय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 के अनुसार संवत् 2024 में उक्त रकबा सरकार के नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 पर पारित निर्णय जो न्यायिक प्रक्रिया एवं न्यायिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है इसलिये तनकी संख्या 2 का निर्णय भी निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में सी0सी0सी0 2015 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 46, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 648, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 374, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1192, डब्ल्यू0एल0सी0 2003 पेज 390, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 929ए0आई0आर0 1953 पेज 235, आर0एल0डब्ल्यू0 2004 (3) पेज 1752, आर0आर0टी0 2014 (1) पेज 695, एस0सी0एण्ड एफ0बी0आर0सी0 1993 पेज 370, डब्ल्यू0एल0सी0 2000 (1) पेज 502, डब्ल्यू0एल0सी0 2003 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 165, आर0आर0टी0 2014 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 695, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 1074 एवं आर0आर0टी0 2010 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 1458 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 6.2.2019 को उक्त वाद में निर्णय व डिक्री पारित की । उक्त प्रकरण में नगर पालिका पुष्कर के अधिवक्ता श्री कुलदीप पाराशर रहे थे, जिनकी नियुक्ति कार्यवाही आदेश की वृद्धि नहीं होने से उक्त प्रकरण के संबंध में तत्समय कोई सूचना नगर पालिका को नहीं दी गई व न ही निर्णय की जानकारी दी गई । तत्पश्चात् दिनांक 14.6.2019 को अधिवक्ता श्री सरफूद्दीन की नियुक्ति की गई । उनके द्वारा प्रकरणों की जानकारी करने पर दिनांक 26.2.2020 से पूर्व उक्त प्रकरण निर्णित हुआ उसकी जानकारी आने पर उन्होंने नकल हेतु आवेदन देकर उक्त नकल दिनांक 4.3.2020 को प्राप्त की, तब सर्वप्रथम अपीलांट को उक्त निर्णय व डिक्री जानकारी हुई । नकले प्राप्त होने के बाद कार्यवाही व उसके पश्चात् कोविड–19 के कारण न्यायिक कार्य स्थगित रहने से अधिवक्ता की नियुक्ति कर अपील प्रस्तुत कराई जा सकी । तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर अभिलेख के साथ अधिवक्ता से संपर्क किये जाने पर यह अपील पेश की

है । अतः विलंब निर्णय व डिक्री की जानकारी के अभाव व जानकारी के पश्चात् विभागीय कार्यवाही में एवं कोविड–19 के कारण हुआ है जो सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 364/2 रकबा 5–19–00 के वर्किंग खसरा नंबर 522 रकबा 5–19–00 के वर्तमान खसरा नंबर 151 रकबा 1.05 है0 में से रकबा 0.80 है0 बने है । उपरोक्त भूमि के एक भाग पर तीन पुख्ता पट्टी पोश कमरे मय चबूतरा बना हुआ है जिसमें से दो कमरे में वादी शंकर निवासी करता है एवं एक कमरे में वादी पुखराज का पुत्र गोपाल रहता है तथा दो पुख्ता पट्टी पोश कमरे, लेट्रीन बाथरूम व चबूतरी व पानी का टेंक जिसमें वादी पुखराज निवास करता है । इस प्रकार उपरोक्त भूमि वादीगण की बापोती पुश्तैनी कृषि भूमि है । इसके बावजूद वर्तमान जमाबंदी 2068 से 2071 में विश्राम स्थली प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत दर्ज कर दी गई थी । चौसाला खसरा नंबर 364 कि जिसका कुल रकबा 12–18–10 के खातेदार 1365 फसली में श्रवण पुत्र हीरा धानका खातेदार दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी संवत् 2015 के अनुसार भी कॉलम संख्या 6 एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2016 के कॉलम नंबर 6 के अनुसार श्रवण पुत्र हीरा ही दर्ज है । चौसाला खसरा नंबर 364 का कुल रकबा 12–18–10 में से रकबा 7–3–10 की भूमि का इंद्राज चौसाला जमाबंदी, वर्किंग जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में वादी संख्या 4 से 7 के पिता श्रवण पुत्र हीरा के नाम दर्ज है तथा शेष भूमि जो कि वादपत्र के पैरा संख्या 1 में दर्शायी गई है जिसे वर्तमान जमाबंदी गलत तौर पर विश्राम स्थली के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की गई है जबकि विवादित आराजी वादीगण की बापोती पुश्तैनी आराजी है । वादग्रस्त आराजी को कभी भी अवाप्त नहीं किया गया है । चौसाला खसरा नंबर 364/2 रकबा 5–16–10 खसरा परिवर्तनशील संवत् 2028 के अनुसार भी कूका पुत्र हीरा के नाम कब्जा काश्त मोठ दर्ज है तथा संवत् 2029 में भी कूका की काश्त दर्ज होकर कब्जा काश्त है । इसी प्रकार संवत् 2021, 2032, 2033 में कूका की काश्त दर्ज होकर काश्त दर्ज है । संवत् 2032 के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 364/2 रकबा 5–15–00 का कूका व श्रवण पुत्रगण हीरा के नाम नियमन जरिये परिशोधन संख्या 178 दर्ज है । संवत् 2033 के अनुसार श्रवण पुत्र हीरा काश्त दर्ज है । कूका का स्वर्गवास हो चुका है । वादीगण कूका के वारिसान है । वादग्रसत आराजियात में 1/2 हिस्सा कूका के वारिसान वादीगण संख्या 1 से 3 एवं श्रवण के वारिसान वादीगण संख्या 4 से 7 का 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजियात प्रारंभ से वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है । बहस में यह भी कथन किया कि पटवारी हल्का ने अपने बयानों में यह बताया है कि विवादित भूमि नगर पालिका पुष्कर को हस्तातंरित की गई थी परन्तु न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 31.1.2019 के अनुसार नगरपालिका पुष्कर को किया गया हस्तातंरण आदेश निरस्त हो चुका है जिससे अपीलांट का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है । वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्यों एवं गवाहों से सिद्ध किया है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में ए0आई0आर0 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 2025, आर0आर0डी0 1998 पेज 1 हाई कोर्ट, आर0आर0डी0 1975 पेज 207, आर0आर0डी0 1999 पेज 329, आर0बी0जे 1998 पेज 546, आर0आर0डी0

1999 पेज 98, 389, 152 हाई कोर्ट, आर0बी0जे0 2019 पेज 658 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है । इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सी0सी0सी0 2015 (2) सुप्रीम कोर्ट पेज 46 एवं आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 648 हाई कोर्ट एवं आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 53 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला खसरा नंबर 364/2 रकबा 5–19–00 के संबंध में हक खातेदारी की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में वाद पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की बापोती कृषि भूमि है परन्तु राजस्व अभिलेख में गलत तौर से सिवायचक दर्ज कर रखी है जबकि कब्जा काश्त वादीगण का ही चला आ रहा है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 6.2.2020 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का वाद इस आधार पर स्वीकार किया है कि खसरा गिरदावरियों एवं खसरा परिवर्तनशील से विवादित आराजियात पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित होता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट/प्रतिवादी ने अपीलमीमों एवं बहस में कथन किया कि खसरा गिरदावरियों एवं खसरा परिवर्तनशील के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है । इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डब्ल्यू0एल0सी0 2000 (1) राजस्थान पेज 502 का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि :– " Rajasthan Tanancy Act, 1955, S. 15…Khasra Girdawari is not a record of rights as rightly held by the Board of Revenue in its judgment (Ann.3) and this does not confer any title of khatedari rights to him, and no such rights accrue to the petitioner on the basis of long or continous possession or Khasra Girdawari "

9. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा गिरदावरियां रिकार्ड ऑफ राईटस न होकर कब्जे काश्त का प्रमाण मात्र है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में वादीगण को खातेदारी दिये जाने का मुख्य आधार वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां एवं खसरा परिवर्तनशील है । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में खसरा गिरदावरियां रिकार्ड ऑफ राईटस नहीं होने से अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । जहां तक विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का यह कथन कि विवादित भूमि के संबंध में अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नहीं होकर भूमिधारी तहसीलदार को है, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलांट नगर पालिका, पुष्कर भी राजस्थान सरकार के अधीन होकर राज्य सरकार की अंग है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में हल्का पटवारी पुष्कर के द्वारा भी

अपने बयान में यह बताया कि विवादित भूमि नगर पालिका, पुष्कर को हस्तातंरित की गई परन्तु हल्का पटवारी का यह कथन वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 31.1.2019 की प्रमाणित प्रति के अनुसार नगर पालिका को किया गया हस्तातंरण आदेश निरस्त कर दिया गया है किन्तु इस संबंध में वादीगण/रेस्पो0 ने कोई दस्तावेज/निर्णय की प्रति पेश नहीं की है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं होने से अपीलांट द्वारा पारित अपील स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य पायी जाती है ।

11. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा वाद संख्या 01/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.8.2020 निरस्त किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर